कार्यालय, अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जिला—उ०ब० कांकेर (छ०ग०)

क्र0/2275 /आ.गृ.आ./स्था0/2024/

दिनांक १२/ ०५ / 2024

-:: आदेश::-

शासकीय आवास गृह आवंटन नियम 1973 के अंतर्गत निम्नांकित अधिकारियों / कर्मचारियों को उनके नाम के आगे दर्शित आवास गृह उनके आधिपत्य में लेने की तिथि से आगामी आदेश पर्यन्त तक अस्थाई रूप से अधोहस्ताक्षर द्वारा आंवटित किया जाता हैं।

| क्र. | आबंटित अधिकारी / कर्मचारी का नाम | आवास गृह का विवरण | रिमार्क |
|------|-------------------------------------|---|---------|
| 01 | डॉ० बुद्धेश्वर सिंह | G-3/14, Ground Floor Govt.Staff Quarter,Imalipara, kanker | |

1. आबंटितियों के द्वारा भवन अधिपत्य की सूचना कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.(भ/स), अनु. अधि. लो.निवि./ग्रा.यां.से./वि.या. एवं वरिष्ठ कोषालय अधिकारी तथा इस कार्यालय व उनके संबंधित कार्यालय को अनिवार्य रूप से दिया जावें।

2. स्थानांतरण होने पर आवासीय भवन की चाबी कार्यपालन यंत्री/अनु.अधि.लो.नि.वि(भ/स) ग्रा.यां.सेवा अथवा इस कार्यालय को सौपीं जावे तथा भवन रिक्त होने की सूचना विद्युत मंडल को दी जावे। बिना अनुमित एवं बगैर सूचना भवन पर अधिपत्य बनाये रखना अनियमितता है ऐसी दशा में मूलभूत नियम 45(बी) के तहत किराया वसूली कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

 आबंटितियों को घोषणा करना अनिवार्य हैं कि उनके पित / पिता / आश्रित बच्चे / पिता या संबंधी के नाम से निजी भवन उनके कर्तव्य स्थल से 06 मील (8.6कि.मी.) के भीतर नहीं हैं।

4. आबंटित भवन का आधिपत्य 10 दिवस के भीतर करना आवश्यक है यदि भवन का आधिपत्य इस अविध में नहीं लिया जाता तो यह आदेश स्वमेय निरस्त माना जावेगा एवं भविष्य में शासकीय भवन आबंटन की पात्रता की श्रेणी में उनका क्रम सबसे नीचे माना जावेगा।

Braken

अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जिला–उ०ब० कांकेर(छ०ग०)

पृ.क. /22*36-79*/ आ.गृ.आ. / स्था० / 2024/ प्रतिलिपि:- दिनांक 22 / 04 / 2024

1.संचालक, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ।

2.कलेक्टर जिला- उ०ब० कांकेर।

3.स्थानीय लेखा शाखा को सूचनार्थ। 4.संबंधित अधिकारी / कर्मचारी डॉ॰ कुट्ट ५ वर मिट्ट को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

> अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जिला–उ०ब० कांकेर(छ०ग०